an>

Title: Need to remove ban on construction of houses in Panchmadi, Madhya Pradesh.

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के एकलौते हिल स्टेशन पंचमढ़ी की ओर दिलाना चाहता हूँ। पूरे देश में अनेक शहरों में रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्ड के माध्यम से शहरों के बेहतरी के लिए काम करता है। हमारा पंचमढ़ी भी ऐसा शहर है, जिसे कैंटोनमेंट बोर्ड गवर्न करता है। पंचमढ़ी शहर चारों ओर से सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हमारा जो टाईगर रिज़र्व फॉरेस्ट का कोर एरिया है, वह पंचमढ़ी शहर को चारों ओर से घेरे हुए है। इसके कारण इस शहर के नागरिकों को जो भी व्यवस्था करनी होती है, वह शहर के अन्दर ही करनी होती है। इसके बावजूद शहर में कोई नया भवन नहीं बन सकता, पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, इन सभी कार्यों पर प्रतिबंध है। साथ ही बोर्ड के आधिपत्य में जो खुला एरिया है, उस पर चलित बाजार या दुकान लगाने पर कैंटोनमेंट बोर्ड प्रतिबंध लगाता है एवं अतिक्रमण हटाने के नाम पर नये-नये आदेश बोर्ड द्वारा लगाये जाते हैं। मेरा सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि पंचमढ़ी में मकानों निर्माण एवं पुनर्निर्माण पर लगी रोक को हटाया जाना चाहिए। इस हेतु खाली स्थानों पर जो दुकानें लगती हैं, उन्हें कैंटोनमेंट बोर्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में स्टे किया हुआ है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि शहर में खुली हवा में हमारे नागरिक जी सकें, व्यापार कर सकें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो बोर्ड की तरफ से स्टे है, भारत सरकार उसमें इंटरवीन करके, अपनी तरफ से कोशिश करके उस स्टे को वैकेट कराए ताकि पंचमढ़ी के हमारे नागरिक, जो टाईगर रिज़र्व फॉरेस्ट के कारण, कैंटोनमेंट बोर्ड के कारण और पहाड़ों से घिरे होने के कारण खुली हवा में नहीं जी पा रहे हैं, किसी तरह का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, उनको उन कामों में मदद मिल सके।